



कुलाधिपति
Chancellor

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
University,

राज भवन, जयपुर – 302006

Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.37(2)आरबी/2024/4903

दिनांक : 04 सितम्बर, 2025

आदेश

मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2010 (यथा संशोधित) की धारा 24(1) व 24(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. सुमंत व्यास, निदेशक (कार्यवाहक), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता॥

(हरिभाऊ बागडे)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.37(2)आरबी / 2024 / ५१०५

दिनांक : ०५ सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ. सुमंत व्यास, छतरी का पाटा के पास, दमानियों का चौक, बीकानेर।
6. प्रो. मनोज दीक्षित, कुलगुरु, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
9. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।



सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान